झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांक–रा0आ0आ0 (वाद) 06 / 2020– 600 राँची, दिनांक– 30.9.2020

कोर्ट नोटिस

प्रेषित,

सचिव / अध्यक्ष
माँ भवानी स्वयं सहायता समूह,
जनवितरण प्रणाली दुकानदार, अनुज्ञप्ति संख्या–06 / 13
ग्राम–गुरदी, पंचायत–कबल, प्रखण्ड–छत्तरपुर, जिला–पलामू।

विषयः– **ग्राम–गुरदी, पंचायत–कबल, प्रखण्ड–छत्तरपुर, जिला–पलामू के श्रीमती सरोज देवी व अन्य कुल 117 कार्डधारियों के मामले में सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयांकित वाद में आयोग के ज्ञापांक–520 दि0–10.09.2020 द्वारा दि0–25.09.2020 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु आपको कोर्ट नोटिस प्रेषित किया गया था। उक्त सुनवाई में आप अनुपस्थित रहे। सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वाद की अगली सुनवाई दि0–07.10.2020 को निर्धारित की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में दिनांक–07.10.2020 को 2.00 बजे अपराह्न आप स्वयं आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोग द्वारा यह मान लिया जायगा कि आप अपने उपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं एवं आयोग आपके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई करने को विवश होगा।

विश्वासभाजन

30/09/2020

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0आ0आ0 (वाद) 06 / 2020– 600 राँची, दिनांक– 30.9.2020

प्रतिलिपिः– श्री शंभू कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रज्ञा केन्द्र को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए जनवितरण प्रणाली दुकानदार **माँ भवानी स्वयं सहायता समूह,** अनुज्ञप्ति संख्या–06 / 13 ग्राम–गुरदी, पंचायत–कबल, प्रखण्ड–छत्तरपुर, जिला–पलामू के सचिव / अध्यक्ष को मामले में सुनवाई से सम्बन्धित पत्र प्राप्त करा दें एवं यह स्पष्ट कर दें कि उन्हें सुनवाई हेतु राज्य खाद्य आयोग के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय को स्वयं उपस्थित होना है। अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

30/09/2020

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

O/C

C:\Users\HP\Dropbox\Ziyaul\Vinod Sir\Court Notice.docx17

पता–ई–1 / 8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261